फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

पी0एन0बी0 शाखा सैपऊ बनाम जयदेव शीतग्रह बगैरा

किस्म मुकदमा:—अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर 36 सन् 2019

RCMS No. 2019/000

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
09.08.19	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री शिवानन्द पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैपऊ ने ऋणी/बंधक कर्त्ता संख्या 1. जयदेव शीतगृह सैपऊ रोड़ पिपहेरा जरिये ज्योति प्रसाद, अशोक पुत्रगण बेताली गांव कुसैड़ा तहसील मनियां जिला धौलपुर 2. श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री द्वारिका प्रसाद निवासी प्लॉट नं0 18 निवासी मोहन कॉलोनी कृषि उपज मण्डी के पीछे धौलपुर जमानती के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 27.12.2016 को 4,20,00,000/— रूपये मात्र (चार करोड़ बीस लाख रूपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:— प्लोट नं0 18 भूमि एवं भवन खसरा नम्बर 584 मोहन कॉलोनी कृषि उपज मण्डी के पीछे धौलपुर, एडीएमएन 111.48 स्क्वायर यार्ड जिला धौलपुर है। जिसकी सीमाए निम्न प्रकार है:— पूर्व में प्लॉट नं0 17, पश्चिम में 20 फुट चौड़ा रास्ता, उत्तर में जमीन अन्य व्यक्ति, दक्षिण में प्लॉट संख्या 19 है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 30.09.2018 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 30.10.2018 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 4,11,33,048/— रूपये मात्र दिनांक 30.09.2018 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 के तहत	543-545 9.8.19

निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी प्लोट नं0 18 भूमि एवं भवन खसरा नम्बर 584 मोहन कॉलोनी कृषि उपज मण्डी के पीछे धौलपुर, एडीएमएन 111.48 स्क्वायर यार्ड जिला धौलपुर है। जिसकी सीमाए निम्न प्रकार है:- पूर्व में प्लॉट नं0 17, पश्चिम में 20 फुट चौड़ा रास्ता, उत्तर में जमीन अन्य व्यक्ति, दक्षिण में प्लॉट संख्या 19 है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 09.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा गिरि)
जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर